न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारीः– वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :–1/2011 दायर दिनांक 30.10.2011

महेन्द्रसिंह पुत्र श्री मुख्तयारसिंह जाति सिख साकिन 49 जी. जी. कुरेशिया त0 श्री करणपुर .....प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत 52 जी जी गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर
2. जंगीरसिंह पुत्र हरदयाल सिंह जाति बावरी साकिन 49 जी जी ए निजामपुरा तहसील श्री करणपुर .....अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थन पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध पट्टा ग्राम पंचायत 52 जी जी दिनांक 11.05.90 जिसके द्वारा गांव 49 जी जी के जोहड़ पायतन की जगह में आहाता नम्बर 174 पैमायशी 50 गुणा 100 फुट पर गलत पटटा जारी किया गया।

उपस्थितः–
1. श्रीमति मंजू गुप्ता एडवोकेट जरिये प्रार्थी
2. श्री गुरचरणसिंह एडवोकेट जरिये अप्रार्थी सं0 1
3. श्री बी.एस. बराड़ एडवोकेट जरिये अप्रार्थी संख्या 2

निर्णय दिनांक 24/08/17

तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी महेन्द्रसिंह पुत्र श्री मुख्तयारसिंह जाति सिख साकिन 49 जी. जी. कुरेशिया द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थन पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश की कि गांव 49 जी जी निजामपुरा कुरेशिया की आबादी में जोहड़ स्वीकृत शुदा है व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तत्कालीन सरपंच ने विभिन्न लोगों को जोहड़ की जगह में भूखण्ड बनाकर पटटे जारी कर दिये गये हैं। लोगों द्वारा निर्माण करने पर पता लगा तो विकास अधिकारी के माध्यम से प्रतिलिपि प्राप्त करने की कोशिश की। ग्राम पंचायत के आबादी खसरा रजिस्टर की नकल व आबादी के नक्शा को हासिल करने की कोशिश की। तहसीलदार से नक्शा न होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई नक्शा आंशिक रूप से गलत मिला व ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर की नकल मिली तो ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत ने सन 1990 में जोहड़ की जगह में अनेकों लोगों को पट्टे जारी किये हैं। अप्रार्थी संख्या 02 को जोहड़ पायतन की जगह में प्लाट संख्या 174/7 का पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को जोहड़ पायतन की जगह में किसी तरह से प्लाट काटकर आवंटन करने व विक्रय करने का कानूनी अधिकार नहीं है। पट्टा गलत जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने पटट्ा पर तो कोई भूखण्ड का नक्शा बनाया है न ही आसा पासा दर्ज किया गया है व रिजर्व प्राईस पर देना अंकित किया है। रिजर्व प्राईस क्या है यह भी दर्ज नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई विधिक अथवा कानूनी प्रक्रिया को अपनाया गया न ही किसी तरह से जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति प्राप्त की गई है। प्रश्नगत पट्टा खारिज किया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई व अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। उनकी ओर से उनके अधिवक्तागण द्वारा पैरवी की गई। संबंधित रिकार्ड मंगाया गया।

प्रार्थी की सुयोग्य अधिवक्ता का बहस में कथन है कि प्रश्नस्पद भूमि जोहड पायतन की है जोहड पायतन की भूमि को किसी भी तरह से आवंटित विक्रय अथवा

कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

रिजर्व प्राईस पर नहीं दिया जा सकता। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिक प्रकिया नहीं अपनाई। निगरानी अधीन पट्टा खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रकिया अपनाकर पटटा जारी किया गया है। पंचों की बैठक की कार्यवाही विवरण में अप्रार्थी व अन्य को निशुल्क आवासीय भूखण्ड दिये गये हैं। निगरानी सारहीन है जो खारिज फरमाई जावे।

अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा भी अपनी बहस में उक्तानुसार कथन किया कि प्रश्नस्पद भूमि जोहड की नहीं है। अप्रार्थी को विधिवत प्रकिया अपनाकर निशुल्क भूखण्ड दिया गया है। अप्रार्थी के पास भूखण्ड नहीं है अतः नियमानुसार भूखण्ड आवंटित किया गया है। अपील खारिज करने की इस्तदुआ की गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11.05.90 को प्रस्ताव पारित किया जाकर पंचायत सर्किल में खेतीहर मजदूर, सीमान्त कृषक एवं लघु कृषक तथा अनुसूचित जाति के गरीब मजदूर जिनके पास भूखण्ड नहीं हैं को सर्व सम्मति से 15 निशुल्क भूखंड दिये गये हैं। जहां तक जोहड की भूमि का प्रश्न है इस संबंध में तहसीलदार श्री करणपुर से रिपोर्ट लिये जाने पर पाया गया कि 49 जीजीए की जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 के खाता संख्या 1 में मु0नं0 46 के 0.506 हैक्टर भूमि में गैर मुमकिन जोहड़ है। मुताबिक नक्शा चक 49 जीजीए उक्त जोहड की भूमि मु0नं0 18 के किला नम्बर 4 व 5 में स्थित है लेकिन उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रश्नस्पद भूखण्ड जोहड़ की भूमि में से आवंटित किये गये हैं। इस संबंध में खसरा रजिस्टर चाहे जाने पर सचिव ग्राम पंचायत 52 जीजी द्वारा रिपोर्ट कम्रांक 98 दिनांक 29.06.17 प्रस्तुत की कि खसरा रजिस्टर ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में विकास अधिकारी श्री करणपुर की जांच रिपोर्ट 19.12.14 के अनुसार खसरा रजिस्टर चार्ज में नहीं दिये जाने के कारण तत्कालीन रामनारायणसिंह सचिव को दोषी होना माना है। सचिव रामनारायण द्वारा खसरा रजिस्टर सरपंच के पास होना बताया है जबकि समस्त रिकार्ड सचिव के पास रहता है।

प्रस्ताव 11.05.90 द्वारा कुल 15 भूखण्ड आवंटित किये गये है जबकि निगरानी पटटा संख्या 174 को अपास्त करने के लिये प्रस्तुत की गई है। उक्त पट्टा संख्या 174 भी पटटा विलेख पंजिका में संधारित नहीं है लेकिन कार्यवाही विवरण में अंकन है। निगरानी कर्ता द्वारा पट्टा की प्रति पेश की गई है। धारा 158 राजस्थान पंचायती राज निरयम 1996 के तहत कमजोर वर्गो को 150 वर्ग गज तक की आबादी भूमि का आवन्टन रियायती दरों पर किया जा सकता है लेकिन प्रश्नस्पद आवन्टन 100 गुणा 50 फुट का किया गया है। जो निर्धारित सीमा से अधिक किया गया है। अतः उक्त विवेचन के प्रकाश में निगरानीकृत पट्टा खारिज किया जाता है।

पटटा कार्यवाही विवरण रजिस्टर के अनुसार शेष ऐसे आवन्टन जो निर्धारित माप से अधिक किये गये हैं के संबंध में विकास अधिकारी श्री करणपुर को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित माप से अधिक आवन्टन किये गये पट्टो के संबंध में निगरानी प्रस्तुत करें व खसरा रजिस्टर उपलब्ध नहीं होने के संबंध में सम्बधित कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही करें व पालना रिपोर्ट भिजवायें।

निर्णय की प्रति के साथ रिकार्ड ग्राम पंचायत को लौटाया जावे निर्णय की एक प्रति विकास अधिकारी श्री करणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (मुख्यालय)
श्रीगंगानगर